



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276642
CG-DL-E-30092026-276642

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5002]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948

No. 5002]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2026

का.आ. 5208(अ).— यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ 5100 (E) दिनांक 30.11.2023 द्वारा केंद्र सरकार ने पंजाब राज्य में संपूर्ण NH-205AG [एस.ए.एस. नगर के समीप NH-205A के साथ इसके जंक्शन से शुरू होने वाले तथा मोहाली, सैदपुरा (सरहिंद), फतेहगढ़ साहिब, मलेरकोटला को जोड़ने वाले और सहना (बरनाला) के समीप NH-754AD के साथ इसके जंक्शन पर समाप्त होने वाले खंड] को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा गया है) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205AG पर किमी 0.000 से किमी 27.370 तक के चार या अधिक लेन वाले खंड के उपयोग के लिए नीचे तालिका 1 के कॉलम (1) में निर्दिष्ट वाहनों पर, 26.612 [तालिका 3] की शुद्ध सड़क खंड लंबाई के लिए और 7.580 किमी [तालिका 5(a)] (जिसकी लंबाई 0.758 किमी [तालिका 5] है) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में निर्दिष्ट दर पर शुल्क लगाती है और प्राधिकरण को, या तो अपने अधिकारियों के माध्यम से या किसी संविदाकार माध्यम से, उक्त शुल्क वसूलने के लिए अधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका 1 –	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 08-2007 के लिए प्रति कि.मी. (रुपए में) आधार शुल्क दर
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी अथवा मृदा संचालन उपस्कर (.एम.सी.एच) (चार से छह धुरी वाले) (.वी.ए.एम) या बहुधुरीय वाहन (ई.एम.ई)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्धृति और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात: -

तालिका - 2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क देय है	वह दर जिस पर शुल्क देय है
किमी. 5.840* एम.सी.डब्ल्यू. पर	नीचे दी गई तालिका 3 में दूरी मैट्रिक्स के अनुसार	उपर्युक्त तालिका -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
किमी. 9.390 आरएमटीपी-I टोल प्लाजा, इंटरचेंज अवस्थिति पर (प्रवेश और निकास)		
किमी. 18.650 पर आर.एम.टी.पी.-II टोल प्लाजा इंटरचेंज अवस्थिति पर (प्रवेश और निकास)		
किमी. 26.400 पर टोल प्लाजा इंटरचेंज अवस्थिति पर (प्रवेश और निकास)		

*किमी 5.840 पर शुल्क प्लाजा का स्थान मोहाली-सरहिंद एक्सप्रेसवे के किमी 0.000 से/तक की टोलिंग लंबाई के लिए है।

तालिका - 3					
कुल शुद्ध सड़क लंबाई के लिए दूरी मैट्रिक्स (60 मीटर से अधिक की संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर)					
से	तक	प्रारंभिक बिंदु किमी 0.000 (किमी 5.840 पर शुल्क प्लाजा)	शुल्क प्लाजा, कि.मी. 9.390 पर	शुल्क प्लाजा, कि.मी. 18.650 पर	शुल्क प्लाजा, कि.मी. 26.400 पर
	किमी.	0.000	9.390	18.650	27.370
प्रारंभिक बिंदु किमी 0.000 (किमी 5.840 पर शुल्क प्लाजा)	0.000	0.000	8.856	18.116	26.612

शुल्क प्लाज़ा, कि.मी. 9.390 पर	9.390	8.856	0.000	9.260	17.756
शुल्क प्लाज़ा, कि.मी. 18.650 पर	18.650	18.116	9.260	0.000	8.496
शुल्क प्लाज़ा, कि.मी. 26.400 पर	27.370	26.612	17.756	8.496	0.000

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :-

तालिका - 4				
क्र. सं.	शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	अवसंरचना की लंबाई (किमी में) जिसे सड़क की बराबर लंबाई में बदला जाएगा	समतुल्य सड़क की लंबाई	वह दर जिस पर शुल्क देय है
1	2	3	4	5
1	किमी 5.840, ग्राम मछली कलां में शुल्क प्लाजा, जिला एसएएस नगर	नीचे तालिका 5 में 60 मीटर से अधिक की संरचनाओं की लंबाई के लिए दूरी मैट्रिक्स के अनुसार	नीचे तालिका 5 (क) के अनुसार दूरी का 10 गुना	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2	ग्राम भगतपुरा/दौलतपुरा, जिला फतेहगढ़ साहिब में किमी 9.390 शुल्क प्लाजा			
3	डंघेरियां गांव, जिला फतेहगढ़ साहिब में किमी. 18.650 पर शुल्क प्लाजा			
4	किमी. 26.400 शुल्क प्लाजा, ग्राम भट्ट माजरा, जिला फतेहगढ़ साहिब			

तालिका - 5					
60 मीटर से अधिक की संरचनाओं की कुल लंबाई (किमी में) के लिए दूरी मैट्रिक्स					
से	तक	प्रारंभिक बिंदु किमी 0.000 (किमी 5.840 पर शुल्क प्लाजा)	शुल्क प्लाज़ा, कि.मी. 9.390 पर	शुल्क प्लाज़ा, कि.मी. 18.650 पर	शुल्क प्लाज़ा, कि.मी. 26.400 पर
	किमी.	0.000	9.390	18.650	27.370
प्रारंभिक बिंदु किमी. 0.000 (किमी. 5.840 पर शुल्क प्लाजा)	0.000	0.000	0.534	0.534	0.758
किमी. 9.390 पर शुल्क प्लाजा	9.390	0.534	0.000	0.000	0.224
किमी. 18.650 पर शुल्क प्लाजा	18.650	0.534	0.000	0.000	0.224
किमी. 26.400 पर शुल्क प्लाजा	27.370	0.758	0.224	0.224	0.000

तालिका-5 (क)					
समतुल्य लंबाई संरचनाओं [^] > 60 मीटर की कुल लंबाई (किमी में) के लिए दूरी मैट्रिक्स					
से	तक	प्रारंभिक बिंदु किमी 0.000 (किमी 5.840 पर शुल्क प्लाजा)	शुल्क प्लाजा, कि.मी. 9.390 पर	शुल्क प्लाजा, कि.मी. 18.650 पर	शुल्क प्लाजा, कि.मी. 26.400 पर
	किमी.	0.000	9.390	18.650	27.370
प्रारंभिक बिंदु किमी. 0.000 (किमी. 5.840 पर शुल्क प्लाजा)	0.000	0.000	5.340	5.340	7.580
किमी. 9.390 पर शुल्क प्लाजा	9.390	5.340	0.000	0.000	2.240
किमी. 18.650 पर शुल्क प्लाजा	18.650	5.340	0.000	0.000	2.240
किमी. 26.400 पर शुल्क प्लाजा	27.370	7.580	2.240	2.240	0.000

[^]60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचना की विवरण इस प्रकार हैं:-

तालिका-5(ख)				
क्र. सं.	अभिकल्प चनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	(किमी.) से	(किमी.) तक		
1	1.116	1.464	आरओवी	0.348
2	4.555	4.625	फ्लाईओवर	0.070
3	7.952	8.068	बड़ा पुल	0.116
4	25.168	25.312	आरओवी	0.144
5	26.360	26.440	फ्लाईओवर	0.080
कुल				0.758

3. कुल प्रभावी लंबाई जिसके लिए निम्नलिखित शुल्क देय और संदेय होगा :

तालिका - 6					
कुल प्रभावी लंबाई (किमी में) (60 मीटर से अधिक लंबाई वाले समतुल्य संरचनाओं सहित) के लिए दूरी मैट्रिक्स [तालिका-3 + तालिका-5 (क)]					
से	तक	प्रारंभिक बिंदु किमी 0.000 (किमी 5.840 पर शुल्क प्लाजा)	शुल्क प्लाजा, कि.मी. 9.390 पर	शुल्क प्लाजा, कि.मी. 18.650 पर	शुल्क प्लाजा, कि.मी. 26.400 पर

	किमी.	0.000	9.390	18.650	27.370
प्रारंभिक बिंदु किमी 0.000 (किमी 5.840 पर शुल्क प्लाजा)	0.000	0.000	14.196	23.456	34.192
शुल्क प्लाजा, कि.मी. 9.390 पर	9.390	14.196	0.000	9.260	19.996
शुल्क प्लाजा, कि.मी. 18.650 पर	18.650	23.456	9.260	0.000	10.736
शुल्क प्लाजा, कि.मी. 26.400 पर	27.370	34.192	19.996	10.736	0.000

.4 विभिन्न प्रकार के यातायात आवागमन जिसके लिए वास्तविक तय की गई दूरी के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क लिया जाएगा, इस प्रकार हैं:

तालिका - 7 ए: मोहाली से सरहिंद तक बायी ओर चलने वाला यातायात			
क्र. सं.	कि.मी.	से प्रवेश	पर निकास
1	5.840	प्रवेश किमी5 .., पर शुल्क प्लाजा 840 जिला, माछली कलां गांव में शुल्क प्लाजा एसएस नगर पर दर्ज किया जाएगा	किमी9 ..पर शुल्क प्लाजा 390
			किमी18 ..पर शुल्क प्लाजा 650
			किमी26 ..पर शुल्क प्लाजा 400
2	9.390	किमी9 .., 390भगतपुरादौलतपुरा गांव में / जिला फतेहगढ़ साहिब, शुल्क प्लाजा	किमी18 ..पर शुल्क प्लाजा 650
			किमी26 ..पर शुल्क प्लाजा 400
3	18.650	किमी18 .., 650डंघेरियां गांव में शुल्क प्लाजाजिला फतेहगढ़ साहिब,	किमी26 ..पर शुल्क प्लाजा 400

तालिका -7बी : सरहिंद से मोहाली तक दाहिनी ओर चलने वाला यातायात			
क्र. सं.	कि.मी.	से प्रवेश	पर निकास
1	26.400	किमी26 ..पर भट्ट माजरा गांव में 400 जिला, शुल्क प्लाजाफतेहगढ़ साहिब	किमी18 ..पर शुल्क प्लाजा 650
			किमी9 ..पर शुल्क प्लाजा 390
			किमी5 .. पर शुल्क प्लाजा 840 0 शुल्क).(तक लगाया गया है 000
2	18.650	किमी18 .., 650डंघेरियां गांव में शुल्क प्लाजाजिला फतेहगढ़ साहिब,	किमी9 ..पर शुल्क प्लाजा 390
			किमी5 ..840 पर शुल्क प्लाजा 0 शुल्क).(तक लगाया गया है 000
3	9.390	किमी9 .., 390भगतपुरादौलतपुरा गांव में / जिला फतेहगढ़ साहिब, शुल्क प्लाजा	किमी5 .. पर शुल्क प्लाजा 840 0 शुल्क).(तक लगाया गया है 000

5. परियोजना राजमार्ग में प्रवेश करने वाले वाहन को प्रवेश शुल्क प्लाजा पर दर्ज किया जाएगा और प्रवेश और निकास शुल्क प्लाजा के बीच वाहन द्वारा उपयोग किए गए मार्ग खंड के लिए उपयोगकर्ता शुल्क पैरा (4) के तहत उल्लिखित विवरण के अनुसार निकास शुल्क प्लाजा पर एकत्र किया जाएगा।

6. राजमार्ग खंड पर कई यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात: -

तालिका -8		
देय राशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एक तरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना*	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए देय शुल्क की राशि का दो तिहाई*	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

*बशर्ते कि उपयोगकर्ता वापसी यात्रा करते समान प्रवेश और निकास शुल्क प्लाजा का उपयोग करे।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त तालिका 1-में यथा उल्लिखित आधार वर्ष के लिए प्रति किमी शुल्क की आधार दर के आधार 08-2007 पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2073.31 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, भविष्य में सुदृढीकरण, क्षमता में वृद्धि इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. 15013/6/2026-पीआईयू चंडीगढ़/ई-266093]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2026

S.O. 5208(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. No.5100 (E) dated 30.11.2023 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted entire NH-205AG [stretch starting from its junction with NH-205A near SAS Nagar connecting Mohali, Saidpura (Sirhind), Fatehgarh Sahib, Maler Kotla and terminating at its junction with NH-754AD near Sehna (barnala)] in the state of Punjab to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 26.612 [Table 3] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 7.580 km [Table 5(a)] (having length of 0.758 km [Table 5]) on the vehicles specified in Column (1) of the Table 1 below for the use of four or more lane section from Km. 0.000 to Km. 27.370 on National Highway No. 205AG in the state of Punjab and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length(in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km.5.840* MCW.	As per distance matrix at Table 3 below	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km. 9.390 RMTP-I Toll		
Plaza at Interchange Location (Entry & Exits)		
At Km. 18.650 RMTP-II Toll		
Plaza at Interchange Location (Entry & Exits)		
At Km. 26.400 Toll Plaza at Interchange Location (Entry & Exits)		

*Fee Plaza location at Km5+840 is for tolling length from/up to km 0+000 of Mohali-Sirhind Expressway.

Table -3					
Distance matrix for net road length (Excluding length of structures>60m)					
From/To	To	Starting Point Km 0.000(Fee Plaza at Km 5.840)	Fee Plaza at Km 9.390	Fee Plaza at Km 18.650	Fee Plaza at Km 26.400
From	Km	0	9.390	18.650	27.370
Starting Point Km 0.000 (Fee Plaza at Km 5.840)	0.000	0.000	8.856	18.116	26.612
Fee Plaza at Km 9.390	9.390	8.856	0.000	9.260	17.756

Fee Plaza at Km 18.650	18.650	18.116	9.260	0.000	8.496
Fee Plaza at Km 26.400	27.370	26.612	17.756	8.496	0.000

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10: -

Table-4				
S. No.	Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
1	2	3	4	5
1	Km. 5.840, Fee Plaza at Machlli Kalan Village, Dist. SAS Nagar	As per the distance matrix for structures > 60 m length at Table 5 below	10 times of the distance as per Table 5 (a) below	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
2	Km. 9.390 Fee Plaza at Bhagatpura/Daulatpura Village Dist. Fatehgarh Sahib			
3	Km. 18.650 Fee Plaza at Dangherian Village Dist. Fatehgarh Sahib			
4	Km. 26.400 Fee Plaza at Bhatt Majra Village Dist. Fatehgarh Sahib			

Table-5					
Distance matrix for total length (in Kms) of the structures > 60 m length					
	To	Starting Point Km 0.000 (Fee Plaza at Km 5.840)	Fee Plaza at Km 9.390	Fee Plaza at Km 18.650	Fee Plaza at Km 26.400
From	Km	0	9.390	18.650	27.370
Starting Point Km 0.000 (Fee Plaza at Km 5.840)	0.000	0.000	0.534	0.534	0.758
Fee Plaza at Km 9.390	9.390	0.534	0.000	0.000	0.224
Fee Plaza at Km 18.650	18.650	0.534	0.000	0.000	0.224
Fee Plaza at Km 26.400	27.370	0.758	0.224	0.224	0.000

Table-5 (a)					
Distance matrix for total length (in Kms) of the equivalent length structures > 60 m length					
	To	Starting Point Km 0.000 (Fee Plaza at Km 5.840)	Fee Plaza at Km 9.390	Fee Plaza at Km 18.650	Fee Plaza at Km 26.400
From	Km	0	9.390	18.650	27.370

Starting Point Km 0.000 (Fee Plaza at Km 5.840)	0.000	0.000	5.340	5.340	7.580
Fee Plaza at Km 9.390	9.390	5.340	0.000	0.000	2.240
Fee Plaza at Km 18.650	18.650	5.340	0.000	0.000	2.240
Fee Plaza at Km 26.400	27.370	7.580	2.240	2.240	0.000

^The details of structure having length more than 60 m areas under:-

Table-5(b)				
Sr. No.	Design Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From	To		
1	1.116	1.464	ROB	0.348
2	4.555	4.625	Flyover	0.070
3	7.952	8.068	MJB	0.116
4	25.168	25.312	ROB	0.144
5	26.360	26.440	Flyover	0.080
Total				0.758

3. The net effective length for which fee shall be due and payable is as under:

Table-6					
Distance matrix for total effective length (in Kms) (Including equivalent length of structures > 60 m length) [Table-3+Table 5(a)]					
	To	Starting Point Km 0.000 (Fee Plaza at Km 5.840)	Fee Plaza at Km 9.390	Fee Plaza at Km 18.650	Fee Plaza at Km 26.400
From	Km	0	9.390	18.650	27.370
Starting Point Km 0.000 (Fee Plaza at Km 5.840)	0.000	0.000	14.196	23.456	34.192
Fee Plaza at Km 9.390	9.390	14.196	0.000	9.260	19.996
Fee Plaza at Km 18.650	18.650	23.456	9.260	0.000	10.736
Fee Plaza at Km 26.400	27.370	34.192	19.996	10.736	0.000

4. The various types of traffic movements for which the user fee will be charged on the basis of actual distance travelled is as under:

Table 7A: Traffic plying on LHS from Mohali to Sirhind			
S. No.	KM	Entry From	Exit To
1	5.840	Entry shall be recorded at Fee Plaza at Km. 5.840, Fee Plaza at Machlli Kalan Village, Dist. SAS Nagar	Fee Plaza at Km. 9.390
			Fee Plaza at Km. 18.650
			Fee Plaza at Km. 26.400
2	9.390	Km 9.390 Fee Plaza at Bhagatpura / Daulatpura Village Dist. Fatehgarh Sahib	Fee Plaza at Km. 18.650
			Fee Plaza at Km. 26.400
3	18.650	Km.18.650 Fee Plaza at Dangherian Village Dist. Fatehgarh Sahib	Fee Plaza at Km. 26.400

Table 7B: Traffic plying on RHS from Sirhind to Mohali

S. No.	KM	Entry From	Exit To
1	26.400	Fee Plaza at Km. 26.400 at Bhatt Majra Village Dist. Fatehgarh Sahib	Fee Plaza at Km. 18.650
			Fee Plaza at Km. 9.390
			Fee Plaza at Km. 5.840 (Fee is levied upto 0.000)
2	18.650	Km. 18.650 Fee Plaza at Dangherian Village Dist. Fatehgarh Sahib	Fee Plaza at Km. 9.390
			Fee Plaza at Km. 5.840 (Fee is levied upto 0.000)
3	9.390	Km 9.390 Fee Plaza at Bhagatpura / Daulatpura Village Dist. Fatehgarh Sahib	Fee Plaza at Km. 5.840 (Fee is levied upto 0.000)

5. The vehicle entering the project highway will be recorded at the Entry fee Plaza and user Fee will be collected at Exit Fee Plaza for the road section used by the vehicle between Entry and Exit Fee Plazas as per details mentioned under para (4).

6. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-8

Amount Payable	Maximum number of one- way journeys allowed	Period of Validity
One and half times of the fee for one-way journey*	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys*	Fifty	One month from date of payment

*Provided that the user uses the same entry and exit fee plazas while performing the return journey.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rs. 2073.31 Cr. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. PROJ-15013/6/2026-PIU Chandigarh/E-266093]

CHETAN NAND SINGH, Jt. Secy.